

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ददाई  
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट रामगढ  
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. तहसीलदार

2. न्यायालय पुत्रगण स्व. तुलछाराम जाति माली नि. ग्राम गोपलाना जोहड़ा तह. रामगढ शेखावाटी जिला  
सीकर (राज.)। .....वादी

बनाम

1. जुगलकिशोर पुत्र स्व. भोलाराम
2. बनारसी देवी पुत्री स्व. भोलाराम
3. सीता देवी पुत्री स्व. भोलाराम
4. कमला देवी पुत्री स्व. भोलाराम
5. मैना देवी पुत्री स्व. भोलाराम समस्त जाति माली नि. ग्राम गोपलाना जोहड़ा तह. रामगढ शेखावाटी जिला  
सीकर (राज.)।
6. तहसीलदार भु-धारक, रामगढ शेखावाटी।
7. पटवारी पटवार हल्का रामगढ शेखावाटी। .....प्रतिवादीगण



वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर - 36/17 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व  
हाजरी एड. श्री अनिल कुमार मिश्रा(वादी की ओर से), श्री विनोद खांडल(प्रतिवादीगण की ओर से) एवं  
मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद अंतर्गत  
धारा 88, 53 व 188 आर.टी. एक्ट बाबत खसरा नम्बर 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, वाके कस्बा  
रामगढ शेखावाटी प्रमाणित नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। निर्णय आज दिनांक  
21.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निजी .....X..... मुबलिक .....X.....बाबत ..... X .....खर्चा  
इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... X .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलिया  
वितक..... X .....को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21.06.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त .....  
उपखण्ड अधिकारी  
ओहदा .....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	02.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	13.00	00	मुतफरिक		
मीशान	20.00	00	मीशान	02.00	